फर्द अहकॉम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी सेड़वा व मुकाम सेड़वा

[illegible] बनाम [illegible]

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन मुकदमा नम्बर 064/2023

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2/03/23	प्रार्थी/वादी/अपीलोट के वकील श्री करनाराम यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–राजस्व अधिनियम के अर्न्तगत पेश किया है । जो दर्ज रजिस्टर हो । विप्रार्थी / प्रतिवादी / रेरपोर्डेंट जरिये नोटिस / सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 13/04/2023 को पेश हो ।	
13/04/23	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। विपक्षीगण के नोटिस Registered पेश किये जिसे शामिल पत्रावली किया जाता है। पत्रावली वास्ते AD के इन्तजार में आइन्दा दिनांक 21/04/23 को पेश हो।	
21/04/23	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। विपक्षीगण के नोटिसो की डिलेवरी रिपोर्ट प्राप्त हुई अतः नोटिसो को तामील शुदा माना जाता है। नोटिस तामीलशुदा प्राप्त होने के बावजुद भी कोई उप० नही हुआ अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। वकील प्रार्थी ने बहस सुनने का निवेदन किया गया। वकील प्रार्थी की बहस	

नक़ल अहकाम हुक्म की में जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 64/2023 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

गेनाराम वगैरा बनाम रामाराम वगैरा

पीठासीन अधिकारी —श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रार्थी वकील — श्री करनाराम कड़वासरा

निर्णय

दिनांक — 21/04/23

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र बाखासर भू.अ.नि. क्षेत्र बाखासर के मौजा मानपुरा के खेत खसरा संख्या 671/560 रकबा 9.1783 हैक्टर व खसरा संख्या 679/584 रकबा 3.3670 हैक्टर किस्म बारानी सोयम स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमी की पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया की जाकर वादग्रस्त भूमि तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र बाखासर भू.अ.नि. क्षेत्र बाखासर के मौजा मानपुरा के खेत खसरा संख्या 671/560 रकबा 9.1783 हैक्टर व खसरा संख्या 679/584 रकबा 3.3670 हैक्टर किस्म बारानी सोयम की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त मे परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नहीं किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो। तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरें की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति में करावें एवं नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो।

पत्रावली पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 21/04/23 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

प्रार्थी		विप्रार्थीगण
1. गेनाराम पुत्र खेताराम 2. गोरधन पुत्र शिवदान 3. देवा पुत्र शिवदान 4. पुरखा पुत्र शिवदान 5. हरलाल पुत्र शिवदान 6. सोनीदेवी पत्नि शिवदान जातियान–जाट, निवासीगण– मानपुरा, तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।	बनाम	1. रामाराम पुत्र बिजाराम 2. भेराराम पुत्र पेलादराम 3. बाबुराम पुत्र मानाराम 4. डूंगराराम पुत्र भेराराम 5. पूनमाराम पुत्र भेराराम 6. हरीराम पुत्र भेराराम जातियान–जाट, निवासीगण–मानपुरा, तहसील–सेड़वा, जिला बाड़मेर। 7. तहसीलदार सेड़वा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत्।

राजस्व आवेदन संख्या 64/2023

दिनांक : 21/04/23

आदेश

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील तहसील सेड़वा पटवार क्षेत्र बाखासर भू.अ.नि. क्षेत्र बाखासर के मौजा मानपुरा के खेत खसरा संख्या 671/560 रकबा 9.1783 हैक्टर व खसरा संख्या 679/584 रकबा 3.3670 हैक्टर किस्म बारानी सोयम के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगें। नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

(रामसी ... कलबी)
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा

क्रमांक/भू.अ./2023/712-15

दिनांक 24/04/23

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ–

1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थी गैनाराम पुत्र खेताराम वगैरा।
3. विप्रार्थीगण रामाराम पुत्र बिंजाराम वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/बीजराड़/धोरीमन्ना/धनाउ।

उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा